फटाफट खबरें

बीजों पर सब्सिडी के लिए आवेदन 31 तक

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : किसान सब्सिडी पर बीज हासिल करने के लिए 31 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपील की कि वे agri-culture.up.gov.in पोर्टल पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। उन्हें 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। शाही ने अपने आवास पर मंगलवार का उच्च गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस खरीफ सीजन में 1,99,910 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर उचित मात्रा में बीज उपलब्ध करवाएं। हर हाल में 31 मई तक सभी किसान केंद्रों पर बीज पहुंच जाने चाहिए। बैठक में बताया गया कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अब तक 75,429 क्विंटल बीज उपलब्ध करवाए जा चुके हैं और 2,636 क्विंटल बीजों का वितरण किया जा चुका है।

अखिलेश यादव ने करवाई स्वगणना

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में उप निदेशक (जनगणना) की उपस्थिति में 'स्वगणना' प्रक्रिया के तहत अपनी स्वयं की गणना की। इस मौके पर उप निदेशक जनगणना गौरव पांडे मौजूद थे। जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा स्वगणना का अभियान 7 मई से 21 मई के बीच चलाया जाएगा। जिसके तहत लोगों ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करवा रहे हैं। स्वगणना के तुरंत बाद 22 मई से घर-घर जाकर गणना का मुख्य सर्वे शुरू होगा।

वेटनरी फार्मासिस्ट भर्ती में अर्हता पर आपत्ति

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : यूपी वेटनरी फार्मासिस्ट असोसिएशन ने पशुपालन विभाग में आउटसोर्सिंग पर भर्ती हो रहे वेटनरी अटेंडेंट की शैक्षिक अर्हता पर आपत्ति जताई है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक कुमार ने पशुपालन निदेशक को पत्र लिखकर अटेंडेंट पदों पर वेटनरी फार्मेसी डिप्लोमा वालों को वरीयता देने का प्रावधान हटाने की मांग की। संघ के अनुसार वेटनरी फार्मेसी दो वर्ष तीन माह का डिप्लोमा है, जबकि वेटनरी अटेंडेंट चतुर्थ श्रेणी और वेटनरी फार्मासिस्ट तृतीय श्रेणी का पद है। 2031 में से 1329 पद खाली है। संघ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजकर नियुक्तियां मांगी।

बिजली दरें तय करने के लिए बैठक आज

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : बिजली दरें तय करने से पहले नियामक आयोग बुधवार को राज्य सलाहकार समिति की बैठक करेगा। ये दरें निर्धारित करने से पहले की आखिरी बैठक होगी। बैठक में बिजली दरों में इजाफे के दावों और उपभोक्ताओं से पूछे गए अन्य मसलों पर चर्चा होगी। बिजली वितरण कंपनियों ने आपूर्ति के प्रस्तावित खर्च और राजस्व के अनुमान में अंतर की भरपाई के लिए दरें बढ़ाने की मांग की है। आयोग जनसुनवाई कर चुका है। सलाहकार समिति में बिजली कंपनियों के अधिकारी और शासन स्तर के उच्चाधिकारी शामिल होंगे। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार 2025-26 में 3995 करोड़, 2026-27 में 12,453 करोड़ का अंतर और स्मार्ट मीटर पर 3838 करोड़ जोड़ने की मांग है, जबकि 51,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है।

राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी कल

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी लखनऊ में 21 मई को होगी। उससे पहले 20 मई को अयोध्या और देवी पाटन मंडल की खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इन गोष्ठियों की अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त करेंगे। इन गोष्ठियों में मंडल के सभी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्रों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके बाद 22 मई को आगरा, अलीगढ़, बरेली मंडल की संगोष्ठी बरेली में होगी। वहीं, 29 मई को मुरादाबाद में और 3 जून को गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल की संगोष्ठी 3 जून को होगी।

अजीत हत्याकांड का आरोपित सुभासपा में

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : गोमतीनगर में हुए चर्चित ब्लॉक प्रमुख पति अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपित प्रदीप सिंह कबूतरा ने मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सुभासपा जॉइन कर ली। प्रदीप सिंह कबूतरा पर हत्याकांड के शूटरों को संरक्षण देने का आरोप है और जनवरी से ही वह जमानत पर छूटे हैं। सुभासपा अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदीप सिंह कबूतरा और उनके साथ बसपा और सपा छोड़कर आए आजमगढ़ के 51 पदाधिकारियों और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम के बाद राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की इस जन्म में सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने सीएम योगी के सड़क पर नमाज न पढ़ने देने वाले बयान का समर्थन किया।

एलडीबी कर्मचारियों का आंदोलन स्थगित

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) के कर्मचारी संगठनों का विश्वासघात आंदोलन पंद्रह दिनों के लिए स्थगित हो गया है। कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर 20 मई से विश्वासघात आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी थी। मंगलवार को बैंक के प्रबंध निदेशक ने कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता की और उनकी वित्तीय मांगों के लिए एक कमिटी गठित करने के निर्देश दिए। यह कमिटी पंद्रह दिन में अपनी रिपोर्ट एमडी को सौंप देगी। कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक संदीप अवस्थी ने बताया कि एमडी ने उनकी मांगों को जायज करार दिया। साथ ही आश्वासन दिया है कि कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर उनकी मांगे पूरी की जाएंगी।

अवैध कब्जा रोकने के लिए तैनात होंगे अधिकारी

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : नोएडा में अवैध कब्जा रोकने के लिए अधिकारियों की तैनाती होगी और उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंगलवार को औद्योगिक विकास मंत्री नंदु गोपाल गुप्ता नंदी ने फिक्स भवन की बैठक में निर्देश दिए कि जिम्मेदारी तय होने के बाद अवैध कब्जे की शिकायत आने पर सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बिल्डर्स और बायर्स की समस्याओं पर ध्यान, वर्षों से अधूरे फ्लैंजेटों को पुनर्जीवित करने और फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री को प्राथमिकता देने को कहा। 57 प्रॉजेक्ट पॉलिसी में आए, 36 बिल्डर ने 25% धन जमा किया, छह ने कुछ नहीं किया जिन पर कार्रवाई हो रही है। सनसाईन इंफ्रा, महागुन, अंतरीक्ष डेवलपर, परफेक्ट एसोटेक पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सिंगल बिड अलॉटमेंट की रिपोर्ट मांगी, 5% प्लॉट बैकलॉग तीन माह में खत्म करने को कहा। टॉइलट सफाई पर फटकार, नौ वर्ष से एक फर्म को काम की जांच, ब्लैकलिस्ट व आरएफपी जांच के निर्देश।

भाजपा संगठन में बड़े बदलावों की तैयारी, दिल्ली की मंजूरी का इंतज़ार

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : भाजपा ने प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। कई नए चेहरों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। वहीं, अनुभवी पदाधिकारियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिल्ली भेजा जा सकता है। प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही कई क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी बदलने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नई लिस्ट लगभग तैयार है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद जल्द ही ऐलान किया जा सकता है।

पंकज चौधरी 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष बने थे। तब से ही प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर मंथन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह इसको लेकर कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। कोर कमिटी की बैठकों में भी राय-मशविरा किया जा चुका है। इसके अलावा भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों में इसको लेकर मंथन किया गया। सूत्रों के अनुसार नई कार्यकारिणी लगभग तैयार है। अब दिल्ली की मंजूरी का इंतजार है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मंगलवार को दिल्ली गए हैं। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व से नई कार्यकारिणी के ऐलान को लेकर भी बातचीत हो सकती है।

प्रदेश कार्यकारिणी के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बदलने की तैयारी, जल्द ऐलान

नए लोगों को मिल सकता है मौका

पार्टी सूत्रों का कहना है कि यदि प्रदेश नेतृत्व की चली तो नई कार्यकारिणी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कोशिश है कार्यकारिणी में

ऐसे कर्मठ लोगों को जगह दी जाए जो काफी समय से संगठन के लिए काम कर रहे है। वही, जो लंबे समय से पार्टी में है, उनकी जगह नए लोगों को जगह दी जाए। संतोष सिंह पांच बार मंत्री, दो बार उपाध्यक्ष रहे है। इस समय एमएलसी और ब्रज क्षेत्र के प्रमोरी भी है। विजय बहादुर पाठक दो बार महामंत्री, दो बार उपाध्यक्ष रहे। लंबे समय तक मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता भी रहे। अमर पाल मौर्य दो बार मंत्री और दो बार से महामंत्री है। उनको राज्य सभा भी भेजा गया। गोविंद नारायण शुक्ल तीन अध्यक्षो के साथ महामंत्री और इससे पहले प्रदेश मंत्री रहे। वर्तमान में एमएलसी भी है। पंकज सिंह कई साल से प्रदेश मंत्री, महामंत्री और उपाध्यक्ष जैसे पदों पर रहे है। अनूप गुप्ता कई बार मंत्री रहे और दो बार से महामंत्री के साथ ही एमएलसी भी है। सलिल बिश्नोई पिछले कई अध्यक्षो के साथ लंबे समय से पदाधिकारी है। कानपुर से चुनाव हारने के बाद एमएलसी भी बनाए गए। कांता कर्दम भी कई बार से पार्टी पदाधिकारी है। मेयर का चुनाव हारने के बाद उन्हें राज्य सभा भेजा गया।

कई जा सकते हैं दिल्ली

राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी बननी है। यूपी हरीश द्विवेदी और सुरेंद्र सिंह नागर से बड़ी संख्या में उसमें लोगों को जगह मिलती रही है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश के कई अनुभवी पदाधिकारियों और नेताओं में से कुछ को केंद्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया जा सकता है। इनमें वर्तमान महामंत्री अमर पाल मौर्य, गोविंद नारायण शुक्ल, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह, संतोष सिंह और विजय बहादुर पाठक के नाम शामिल हैं। डॉ.महेंद्र सिंह इस समय एमएलसी और मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं। राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल, अरुण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राष्ट्रीय सचिव

बर्थ ऐंड डेथ रजिस्ट्रेशन की नई नियमावली, कैबिनेट अप्रूवल के बाद बढ़ी राशि

जानकारी छिपाने या गलत देने पर 20 गुना हुआ जुर्माना

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

अब जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाते वक्त जानकारी छिपाने या गलत नाम पता दर्ज करवाने पर ज्यादा जुर्माना भरना होगा। यूपी में बर्थ ऐंड डेथ रजिस्ट्रेशन की नई नियमावली को कैबिनेट अप्रूवल के बाद यह सख्ती बढ़ गई है। अब जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर जानकारी न देने पर भी आर्थिक दंड लग सकता है। इसके साथ ही गलत जानकारी देने या नाम पता समेत दूसरी जानकारियां गड़बड़ होने पर भी जुर्माना लगेगा। ऐसे मामलों में अस्पताल, नर्सिंग होम, नगर निगम, पंचायत या नगर पालिका के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। बर्थ ऐंड डेथ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1969 की धारा 23 के तहत होने वाली इस कार्रवाई में जुर्माने की दर 50 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये तक कर दी गई है।

बर्थ ऐंड डेथ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 23 के तहत नई नियमावली का पालन न करने वालों पर आर्थिक दंड को बढ़ाया गया है। यह सख्ती इसलिए की जा रही है ताकि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाने वाले सही जानकारी ही दें। नई नियमावली लागू होने से पहले ऐसे मामलों में ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये ही जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। लापरवाही के चलते गलत जानकारी भरने पर 250 रुपये जुर्माना लगेगा, लेकिन बार-बार गलत जानकारी भरने या जानबूझकर सूचना छिपाने पर जुर्माने की रकम 1000 रुपये तक पहुंच जाएगी। हालांकि, अगर किसी को लगता है कि उसपर गलत तरीके से जुर्माना लगा है तो सुनवाई का मौका भी दिया जाएगा। बर्थ ऐंड डेथ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 23 के तहत जानबूझकर और बारबार फर्जीवाड़ा करने, सामिज के तहत फर्जी दस्तावेज बनवाने, बदलने या छिपाने को गुप्ति होने पर जेल का भी प्रावधान है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी अस्पतालों में जन्म मृत्यु होने पर सीधे पोर्टल पर डेटा अपलोड होता है जबकि निजी अस्पतालों को इसके लिए नगर निगम या नगर निकायों से यूजर आईडी और पासवर्ड लेना होता है।

■ बर्थ ऐंड डेथ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1969 की धारा 23 के तहत जुर्माने की दर बढ़ाई गई, जानबूझकर फर्जीवाड़ा करने की पुष्टि होने पर जेल भेजने का है नियम

छह महीने तक यूजर आईडी तक नहीं देते?

लखनऊ में कुर्सी रोड स्थित अस्पताल ने बर्थ ऐंड डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम में यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए आवेदन किया। छह महीने बाद भी नगर निगम ने यूजर पासवर्ड जारी नहीं किया। आरोप है कि लखनऊ नगर निगम में यह काम करने वाले एक बाबू को कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन हर बार बाबू ऑफिस में आकर मिलने की बात कहते हुए टालता रहा और आज तक यूजर आईडी जारी नहीं किया। इंडियन मेडिकल असोसिएशन के सदस्य डॉ. अनिकेत के मुताबिक इस मामले में नगर निगम के अलावा लखनऊ के सीएमओ को भी लिखित शिकायत सौंपी गई है। यूपी में यूजर आईडी जारी करने में लेटलतीफी का यह अकेला मामला नहीं है। लखनऊ समेत सभी नगर निगम और निकायों में यह समस्या है। सरकार ने बर्थ रेड डेथ रजिस्ट्रेशन को पारदर्शी बनाने के लिए इससे पहले भी एक आदेश जारी किया था। उसके मुताबिक नवजात को डिस्चार्ज करने से पहले उसे जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश हो चुका है, लेकिन नगर निगमों से निजी अस्पतालों को यूजर आईडी और पासवर्ड देने में हीलाहवाली और भ्रष्टाचार के चलते यह पहल ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो सकी। इंडियन मेडिकल असोसिएशन के सदस्यों ने नई नियमावली का स्वागत किया, लेकिन आशंका जताई कि विभागीय भ्रष्टाचार के चलते इस पर बुरा असर पड़ सकता है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलेंगे, प्रधानों व अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब समय से नहीं होंगे। इसके संकेत मंगलवार को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिए। बताया कि विभाग की ओर से शासन को दो प्रस्ताव भेजे गए हैं। पहला प्रस्ताव ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाने का है। जबकि, दूसरा प्रस्ताव उनके स्थान पर प्रशासकों की तैनाती का है। सरकार जिस पर रजामंदी को मोहर लगाएगी, उसी आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। उधर, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई।

ये कहते हैं नियम : यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 तक है। नियमानुसार प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद गांवों के विकास कार्यों को चलाने के लिए दो व्यवस्थाएं तय हैं। पहला, प्रशासक समिति को ग्राम पंचायत चलाने का अधिकार दिया जाए और वह जनप्रतिनिधियों के जरिए उसका संचालन करवाए। जनप्रतिनिधि के तौर पर इस व्यवस्था में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य प्रशासक समिति में शामिल होते हैं। दूसरा, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर वहां प्रशासक बैठाया जाए। हालांकि, सूत्रों का दावा है कि सरकार की भी मंशा प्रशासक समिति के जरिए प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाने की है।

पंचायती राज मंत्री ने कहा- पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जल्द

पहले विधानसभा चुनाव?

सोमवार को कैबिनेट ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। राजभर ने कहा "जल्द आयोग के पदाधिकारियों का गठन कर दिया जाएगा।' गठन के बाद आयोग पिछड़ा वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आकलन करेगा, सर्वेक्षण करेगा और फिर आरक्षण का प्रतिशत तय करेगा, जिसमें कई महीनों का समय लगेगा। दूसरी ओर, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची प्रकाशन की तारीख पांचवीं बार बढ़ाकर 10 जून 2026 कर दी है। उधर, जातीय जनगणना का भी कार्य शुरू हो गया है। इन सब को देखते हुए भी विधानसभा चुनावों से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मुश्किल लग रहा है। हालांकि, मामला अभी न्यायालय में भी विचाराधीन है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम फैसला अदालत के आदेश के मुताबिक ही लिया जाएगा।

खांसी, बलगम न बुखार, जांच में निकले 28 हजार टीबी मरीज

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : लंबे समय से बुखार, न खांसी और न ही बलगम की समस्या। इसके बावजूद एक्स-रे समेत दूसरी जांचे करवाने पर टीबी की पुष्टि हुई। ऐसे एक दो या तीन नहीं, 28 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के 50 दिन पूरे होने पर यह दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। अपर मुख्य सचिव अमित घोष ने इतनी बड़ी संख्या में बिना लक्षण वाले टीबी मरीजों की पहचान के अभियान की उपलब्धि बताया।

अभियान से जुड़े डॉक्टरों के मुताबिक बिना लक्षण वाले टीबी मरीजों की पहचान न होने पर उनसे दूसरे लोगों को टीबी होने की आशंका बनी रहती, लेकिन अब इनका इलाज शुरू होने से यह खतरा टल गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित घोष के मुताबिक 100 दिवसीय 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के तहत अब तक 22 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसमें टीबी के संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए 15 लाख से अधिक एक्स-रे और 4 लाख से अधिक नैट टेस्ट करवाए गए हैं। अभियान का नतीजा है कि 96 हजार से अधिक नए टीबी मरीजों की पहचान कर उनका ब्योरा निक्षय पोर्टल पर अपलोड कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। इन्हीं में से 28 हजार मरीज ऐसे हैं जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे थे।

वजन घटे और भूख न लगे तो जरूर करा लें जांच : जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. एके सिंघल के मुताबिक टीबी का कोई लक्षण न होने पर भी कई लोगों की जांच में टीबी की पुष्टि हो रही है। इनमें डायबीटीज, हाईपरटेंशन, क्रॉनिक किडनी डिजीज और यूमेटॉयड आर्थराइटिस के मरीज शामिल हैं।

100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के 50 दिन पूरे, अपर मुख्य सचिव की तरफ से जारी हुए आंकड़े

900 नई अदालतों के गठन में सुस्ती पर हाई कोर्ट नाराज़

■ NBT न्यूज, लखनऊ : 900 नई अदालतों के गठन के मामले में राज्य सरकार की सुस्ती पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त नाराजगी जताई है। न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए आदेश दिया है कि यदि अगली सुनवाई तक अदालतों के गठन के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तो मुख्य सचिव तथा विधि परामर्शी (एलआर) कोर्ट के समक्ष हाजिर हों। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई, एक जनहित याचिका पर पारित किया है। याचिका में प्रदेश में 9149 अदालतों के गठन का मुद्दा है। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमिटी ने अक्टूबर 2024 में ही पहले चरण में 900 अदालतों के गठन की बात सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था। इनमें 225 एचजेएस स्तर के, 375 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 300 सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालतें हैं। न्यायालय ने पाया कि मामले में ठोस निर्णय लेने के बजाय नई-नई व आधारहीन सवाल उठाकर अदालतों के गठन को मात्र लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे प्रयासों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय के सख्त रुख को देखते हुए, राज्य सरकार की ओर से एक अंतिम मौके की मांग की गई जिसे न्यायालय ने मंजूर करते हुए, उपरोक्त आदेश पारित किया।

खंडपीठ ने कहा-निर्णय न ले पाएं तो हाजिर हों मुख्य सचिव

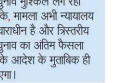

अब शहरों के बीच बसे गांवों में भी बनेगी घरौनी, प्रस्ताव तैयार

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : नगर निगमों के विस्तार और नई कॉलोनियों के चलते शहरी सीमा में आ चुके गांवों के लिए भी घरौनी योजना लाई जाएगी। नगर विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे शासन से मंजूरी मिल जाएगी। ऐसा हुआ तो शहरों में कॉलोनियों के बीच बसे हुए गांवों में रहने वालों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उनके पास जमीन और मकान का कोई मालिकाना हक नहीं है। शहरों के लिए घरौनी योजना आने के बाद इन परिवारों को उनकी संपत्ति का दस्तावेज मिल सकेगा। ग्रामीण इलाकों में घर बनाकर रहने वालों को उनके मकान का मालिकाना हक देने के लिए अप्रैल 2020 में घरौनी योजना शुरू हुई थी। इसके चलते संपत्ति विवाद और अवैध कब्जे के मामलों में भी कमी आई। दस्तावेज बनने के बाद ग्रामीण अपनी इस संपत्ति पर लोन भी ले सकते हैं। नगर निगमों के विस्तार के बीच में आ चुके गांवों को यह सुविधा नहीं मिल रही। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद ने जमीन अधिग्रहण कर कॉलोनियां विकसित कीं। यूपी में ऐसी कॉलोनियों के बीच में बचे गांव ज्यादा हैं। सोमवार को शासन में प्रेजेंटेशन हुआ।

नगर निगमों के विस्तार और नई कॉलोनियों में आ चुके गांव में रहने वालों को मिलेगा फायदा

बागवानी फसलों का मुआवजा दिलवाने में सहयोग करें: दिनेश

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : उद्यान एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को आपदा में क्षतिग्रस्त हुई बागवानी फसलों का मुआवजा दिलवाने में सहयोग करें।

आपदा में जो भी नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करवाकर जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाएं। यह निर्देश उन्होंने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने जिला उद्यान अधिकारियों से कहा कि जिलाधिकारियों से समन्वय करके किसानों को राहत दिलवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मामलों में क्षतिपूर्ति के नियम स्पष्ट नहीं हैं यह तय धनराशि पर्याप्त नहीं है, उनमें राहत आयुक्त को प्रस्ताव भेजकर जरूरी कार्यवाही करवाएं। बैठक में अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा, उद्यान निदेशक बीपी राम सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

अगले 5 महीने में अपर मुख्य सचिव रैंक के कई अफसरों का है रिटायरमेंट

माह के अंत तक ब्यूरोक्रेसी में होंगे कई बड़े बदलाव

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब यूपी की ब्यूरोक्रेसी में शासन स्तर पर कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। मई के अंत तक आईएएस अफसरों के तबादलों की नई सूची जारी हो सकती है, जिसमें कई अहम विभागों में तैनात अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों के कामकाज में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा रिटायर होने वाले अफसरों के पदों पर भी नए अफसरों को तैनाती दी जा सकती है।

लंबे समय से तैनात कई अफसरों का बदलेगा रोल : यूपी की ब्यूरोक्रेसी में कई अफसर लंबे समय से एक ही पद पर तैनात हैं। उनके विभागों में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है, उनके भी कुछ विभाग कम हो सकते हैं। इसके अलावा सचिवों के पदों में भी फेरबदल की संभावनाएं हैं। इसमें खासतौर पर वो अधिकारी शामिल हैं, जो लंबे समय से एक ही विभाग में तैनात हैं। साथ ही 5-6 ऐसे अधिकारी भी हैं, जिनके पास कई अहम विभागों की जिम्मेदारी है। उनके रोल में भी बदलाव होगा।

राजस्व परिषद चेयरमैन इस महीने हो रहे हैं रिटायर : राजस्व परिषद चेयरमैन अनिल कुमार इस महीने रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में चर्चाएं तेज हैं कि मुख्य सचिव की कुर्सी के समकक्ष माने जाने वाली इस कुर्सी पर कौन ब्यूरोक्रेट विराजमान होगा। माना जा रहा है कि इस कुर्सी पर 1991 बैच के अफसर को मौका मिल सकता है। इसमें 1991 बैच के आईएएस बाबू लाल मौणा का नाम सबसे आगे है। वे 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं और मौजूदा समय में अपर मुख्य सचिव उद्यान के पद पर तैनात हैं।

अगले 5 महीनों में कई अहम पदों पर तैनात अफसर होंगे रिटायर : इस साल कई सीनियर आईएएस अफसर रिटायर होंगे। इसमें मुख्य रूप से राजस्व परिषद चेयरमैन तो इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। वहीं, एपीसी और आईआईडीसी की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे दीपक कुमार अक्टूबर में रिटायर होंगे। अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल का भी सितंबर में रिटायरमेंट है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात 1991 बैच के आईएएस अफसर कामरान रिजवी का अक्टूबर में रिटायरमेंट है। इसी बैच की नेवेदिता शुक्ला वर्मा के रिटायरमेंट में अभी डेढ़ साल का वक्त है, मगर वो भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं।

बैंक ऑफ इण्डिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालयः "स्टार हाऊस" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, फोनः 0522–2721512

ई-नीलामी सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना नियम 9 (1) के तहत

यह ई–नीलामी बिक्री सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के अधीन बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए, इस नोटिस के माध्यम से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (कर्ताओं) और ज़मानतकर्ता (कर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि बैंक ने बंधक अचल सम्पत्ति जिनका विवरण नीचे दिया गया है तथा जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा गया है को 'जैसा है', जहां है', 'जो है', जैसा है' तथा 'जो कुछ भी है, के आधार पर विक्रय की जायेगी।

ईमदी / दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 08.06.2026 को सायं 05:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय 09.06.2026, प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

क्र. सं.	खातेदार/जमानतकर्ता का नाम एवं पता/बकाया राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण एवं कब्जा की स्थिति	निर्धारित आरक्षित मूल्य/ अग्रिम धनराशि (₹)
शाखाः आरिस वसूली शाखा, वरिष्ठ प्रबन्धक, अमित यादव, मोः 9415389015			
1.	श्री राजीव जैन, पताः1, जी 4, डिम्पी गौरव 334, ज्ञान खंड 1, इंदिरापुरम गाजियाबाद–201014. 2. फ्लैट नंबर 910 टावर ए, बीसीसी ग्रीन्स, नौवस्ता कला गांव, देवा रोड, लखनऊ 3. फ्लैट नंबर 911 टावर ए, बीसीसी ग्रीन्स, नौवस्ता कलां गांव, देवा रोड, लखनऊ **मांग सूचना की तिथिः 03.09.2024, बकाया धनराशिः ₹60,52,947.00 +ब्याज एवं अन्य खर्चे**	1) सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से निहित फ्लैट संख्या 910, टाइप 1 बीएचके, 9वीं मंजिल, टावर ए, बीसीसी ग्रीन्स, खसरा संख्या 511 के हिस्से पर निर्मित, नौवस्ता कला ग्राम, देवा रोड, लखनऊ, **क्षेत्रफल 520 वर्ग फीट, मालिकः श्री राजीव जैन पुत्र सुभाष जैन, चौहद्दीःपूर्व**–सामान्य मार्ग, **पश्चिम**–खुला आसमान, **उत्तर**–सामान्य मार्ग, **दक्षिण**–फ्लैट संख्या 911	₹ 22,00,000/– ₹ 2,20,000/–
		2) सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से निहित फ्लैट संख्या 911, टाइप 1 बीएचके, 9वीं मंजिल, टावर ए, बीसीसी ग्रीन्स, खसरा संख्या 511 के हिस्से पर निर्मित, नौवस्ता कला ग्राम, देवा रोड, लखनऊ, **क्षेत्रफल 520 वर्ग फीट, मालिकः श्री राजीव जैन पुत्र सुभाष जैन, चौहद्दीःपूर्व**